



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21052022-235957  
CG-DL-E-21052022-235957

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 360]  
No. 360]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 21, 2022/वैशाख 31, 1944  
NEW DELHI, SATURDAY, MAY 21, 2022/VAISAKHA 31, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मई, 2022

सं. 26/2022-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 378(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) और सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक 50/2017 सीमा-शुल्क, तारीख 30 जून, 2017 जो संख्यांक सा.का.नि. 785(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी, का और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, -

I. सारणी में, -

(1) क्र. सं. 141 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्र. संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"141 क	2701	(क) एन्ट्रेसाइट/पुलवराइज्ड कोल इंजेक्शन (पीसीआई) कोयला (ख) कोकिंग कोल	शून्य	-	-

141 ख.	2704	कोयले का कोक और सेमी-कोक, लिग्नाइट का या पीट का, चाहे जमा हुआ हो या नहीं	शून्य	-	-
141 ग	2710	नेफ्था	1%	-	-";

(2) सं. 191 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्र. संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"191 क.	2910 20 00	नैप्यमेथिलॉक्सिरेन (प्रोपलीन ऑक्साइड)	2.5%	-	-";

(3) क्रम संख्या 267 के सामने, कॉलम (3) में, प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "सभी माल" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(4) सं. 364 ग और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्र. संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"364 घ	7202 60 00	फेरो-निकेल	शून्य	-	-";

2. अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यह अधिसूचना 22 मई, 2022 को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 354/12/2022-टीआरयू]

नितिश कर्नाटक, अवर सचिव

**टिप्पण :** मूल अधिसूचना संसख्यांक 50/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017 संख्यांक सा.का.नि. 785(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना संख्यांक 02/2022 सीमाशुल्क, तारीख 1 फरवरी, 2022 द्वारा संशोधित की गई थी जो संख्यांक सा.का.नि. 76(अ), तारीख 1 फरवरी, 2022 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 21st May, 2022

#### No. 26/2022-Customs

**G.S.R. 378(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and sub-section (12) of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 50/2017-Customs, dated the 30<sup>th</sup> June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 785(E), dated the 30<sup>th</sup> June, 2017, namely:-

In the said notification, -

I. in the Table, -

(1) after S. No. 141 and the entries relating thereto, the following S. Nos. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“141A	2701	(a) Anthracite/Pulverized coal injection (PCI) coal; (b) Coking coal	Nil	-	-
141B.	2704	Coke and semi-coke of coal, of lignite or of peat, whether or not agglomerated	Nil	-	-
141C	2710	Naphtha	1%	-	-”;

- (2) after S. No. 191 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“191A.	2910 20 00	Methyloxirane (propylene oxide)	2.5%	-	-”;

- (3) against S. No. 267, in column (3), for the entry, the entry “All goods” shall be substituted;
- (4) after S. No. 364C and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“364D.	7202 60 00	Ferro-nickel	Nil	-	-”;

2. This notification shall come into effect on the 22<sup>nd</sup> day of May, 2022.

[F. No. 354/12/2022-TRU]

NITISH KARNATAK, Under Secy.

**Note :** The principal notification No. 50/2017-Customs, dated the 30<sup>th</sup> June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), *vide* number G.S.R. 785(E), dated the 30<sup>th</sup> June, 2017 and was last amended *vide* notification No. 02/2022-Customs, dated the 1<sup>st</sup> February, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), *vide* number G.S.R. 76 (E), dated the 1<sup>st</sup> February, 2022.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मई, 2022

सं. 27/2022-सीमाशुल्क

**सा.का.नि. 379(अ).**—वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 124 के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), अधिसूचना सं. 11/2021-सीमा शुल्क, दिनांक 1 फरवरी, 2021, जिसे सा.का.नि. 69 (अ), दिनांक 1 फरवरी, 2021, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती हैं, यथा: -

उक्त अधिसूचना में, तालिका में क्रमांक 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)
“10 क.	2701	(क) एन्थ्रेसाइड/पुलवराइज्ड कोल इंजेक्शन (पीसीआई) कोयला (ख) कोकिंग कोल	शून्य”;